संख्या 341 /XII/2006/82(25)/2003

प्रेषक,

एम0 सी0 उप्रेती
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तरांचल,देहरादून.

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग देहरादून दिनांक 4 मई, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु विभिन्न वचनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 262/XII/2006/82(25)/2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अन्तर्गत पंचायतीराज अधिष्ठान हेतु कुल रु0 1,51,22,000.00 **(रु0 एक करोड़ इक्यावन लाख बाईस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित वचनबद्ध मानक मदों में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र. स.	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में बजट प्राविधान	शासनादेश संख्या 262 दिनांक 07.04.06 के द्वारा अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01–वेतन	7534	628	6906
2.	03–मंहगाई भत्ता	3164	263	2901
3.	04–यात्रा व्यय	300	25	275
4.	06–अन्य भत्ते	829	69	760
5.	08–कार्यालय व्यय	300	25	275
6.	09–विद्युत देय	130	10	120
7.	10–जलकर/जल प्रभार	20	1	19
8.	13–टेलीफोन व्यय	150	12	138
9.	15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	300	25	275
10.	48–मंहगाई वेतन	3767	314	3453
	योग	16494	1372	15122

(रु0 एक करोड़ इक्यावन लाख बाईस हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय ।

3. उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाय ।

4. इसे केवल चालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जायेगा ।

5. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय

क्रमश.....2..... पर

निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/ प्राविधिक स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय ।

उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र–बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 7 तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के लेखा शीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–101–पंचायतीराज–03 राज अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 908/ XXVII(1)/2006, दिनांक 24 अप्रैल, के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(एम0 सी0 उप्रेती)
अपर सचिव ।

341 /XII/06/82(25)/2003 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी,/समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तरांचल 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल देहरादून ।
निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–4 उत्तरांचल शासन ।
बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून ।
गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव ।